# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सेक्टर–के0पी0–04,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला–गौतमबुद्ध नगर–201310


पत्रांकः ओ0टी0एस0 / सम्पत्ति / 2022 / 1157
दिनांक 22/04/2022

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 126वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 126 / 25 में वित्तीय बर्ष 2016–17 तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा बिल्टअप हाउसिंग भवनों की योजना के लिए ओ0टी0एस0 योजना (One Time Settlement Policy) निम्न शर्तो के साथ लागू की जाती है :-

**(1.) एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जाने की प्रक्रियाः–**

1. ओ0टी0एस0 योजना, प्राधिकरण द्वारा आवंटन पद्धति से आवंटित निर्मित भवनों के आवंटियों पर लागू होगी, अन्य किसी प्रकार की योजना पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।
2. ओ.टी.एस. योजना बिल्टअप हाउसिग योजनाओं में केवल उन प्रकरणों पर लागू होगी जिनमे (प्रीमियम + 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर) के सापेक्ष वर्तमान में डिफाल्टर है या फिर उनके द्वारा लीजडीड निष्पादित नही करायी गयी है। भविष्य के लिये यह योजना लागू नही होगी।
3. ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत , जिन आवंटियों द्वारा पूर्व की योजनाओं में तीनों मद यानि (प्रीमियम + 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड पैनल्टी) के किसी भी मद में एक बार लाभ प्राप्त किया जा चुका है तो उस मद में उसकों इस योजना के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नही होगा। अर्थात अन्य मद जिसमें लाभ प्राप्त नही किया गया हो उसमें वह लाभ प्राप्त कर सकता है।
4. ओ0 टी0 एस0 योजना के अन्तर्गत आवंटीगण दिनांक 30.09.2022 तक भवनों (150 वर्गमीटर तक रू 2000.00 प्रोसेसिंग फीस तथा 150 वर्गमीटर से अधिक रू 5000.00) प्रोसेसिंग फीस (जिसका समायोजन किसी अन्य मद में नही किया जायेगा) के साथ (प्रीमियम + 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर + लीजडीड विलम्ब शुल्क) के सापेक्ष अथवा किसी एक मद में भी डिफाल्ट धनराशि के कुल योग का 50 प्रतिशत जमा कराते हुए आवदेन कर सकते है। योजना के अन्तर्गत देय छूट के अन्तिम समायोजन के उपरान्त देयता का भुगतान सम्बन्धित आवंटी द्वारा अनिवार्य रूप से करना होगा।
5. ओ0टी0एस0 योजना हेतु आवंटी को वर्तमान तक आवंटन के सापेक्ष अति देयता ((Defaulted Amount + 64.7% Additional Compesnation Recovery+ Late Lease Deed Penalty ) के कुल योग का 50 प्रतिशत (जो कि जमा होने वाली धनराशि आगणित लागत / देय धनराशि में समायोजित की जायेगी) को जमा करना होगा।
6. ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदक को आवेदन के साथ पत्राचार का पूर्ण पता व मोबाइल नम्ब अंकित करना होगा।
7. एक मुश्त समाधान पॉलिसी (One Time Settlement Policy) के अन्तर्गत आवंटी द्वारा आवेदन करने की तिथि वह मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदनकर्ता द्वारा ओ0टी0एस0 आवेदन के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि जमा कर दी गयी है। आवेदन पंजीकृत डाक व प्राधिकरण के डिस्पैच काउन्टर पर स्वीकार किये जायेगें तथा सम्बन्धित विभाग प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पृथक से रजिस्ट्रर बनाकर प्राप्त आवेदनों का विवरण उस रजिस्ट्रर में दर्ज करेगा।
8. ओ0टी0एस0 योजना हेतु निर्धारित तिथि 30.09.2022 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाये।